राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2938/2024

श्रवण कुमार पुत्र श्री मोती लाल, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 09, सूरतगढ़, सोमनसर, श्री गंगानगर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर मार्फ़त प्रबंध निदेशक, न्यू पावर हाउस रोड, जोधपुर, राजस्थान।

2. सचिव (प्रशासन), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर, राजस्थान।

3. सहायक अभियंता, श्रीडूंगरगढ़, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

संलग्न

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्याएँ 1602/2025, 1628/2025, 1636/2025, 1638/2025, 1679/2025, 1771/2025, 1780/2025, 1805/2025, 1829/2025, 1832/2025, 1885/2025, 1889/2025, 1894/2025, 1915/2025, 1936/2025, 1941/2025, 1978/2025, 1985/2025, 1989/2025, 2020/2025, 2024/2025, 2084/2025, 2092/2025, 2093/2025, 2098/2025, 2108/2025, 2115/2025, 2133/2025, 2138/2025, 2139/2025, 2143/2025, 2155/2025, 2167/2025, 2169/2025, 2171/2025, 2183/2025, 2184/2025, 2188/2025, 2190/2025, 2205/2025, 2216/2025, 2257/2025, 2270/2025, 2282/2025, 2286/2025, 2289/2025, 2303/2025, 2308/2025, 2317/2025, 2320/2025, 2322/2025, 2325/2025, 2345/2025, 2376/2025, 2464/2025, 2494/2025, 2507/2025, 2518/2025, 2531/2025, 2532/2025, 2535/2025, 2636/2025, 2675/2025, 2683/2025, 2764/2025, 2805/2025, 2830/2025, 2838/2025, 2842/2025, 2958/2025, 2975/2025, 2980/2025, 3002/2025, 3180/2025, 3205/2025, 3210/2025, 3228/2025, 3247/2025,

3288/2025, 3323/2025, 3332/2025, 3438/2025, 3452/2025, 3492/2025, 3764/2025, 3991/2025, 1419/2025, 4201/2025, 4009/2025, 3255/2025, 3359/2025, 2314/2025 और 3888/2025.

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री जितेंद्र सिंह भालेरिया, श्री मनीष पटेल, श्री आर.एस. चौधरी, श्री राजक खान, श्री राकेश मटोरिया, श्री दीक्षित पंवार, श्री विकास बिजारनिया, श्री संदीप बिश्नोई, श्री त्रिलोक जोशी, मनजीत, श्री देवेंद्र सिंह थिंद, श्री विकास चौधरी, श्री एस.आर. गोदारा, श्री विपिन मानकाड, श्री ओ.पी. सांगवा, श्री महेंद्र सिंह गोदारा, श्री मनोज बोहरा, श्री एस.आर. गोदारा, श्री रत्ना राम, श्री सुनील ढाका, श्री कुणाल बिश्नोई, श्री हर्षवर्धन सिंह, सुश्री प्रियंका केवलिया, श्री एस.के. श्रीमाली, श्री मनोज कुमार, श्री हिमांशु श्रीमाली, ओ.पी. कुमावत, श्री एस.के. पूनिया, श्री सुधीर सरूपरिया, श्री प्रदीप सिंह खोसा, श्री एस.के.एम. व्यास।
प्रतिवादी की ओर से	:	श्री प्रदीप शर्मा श्री हुकुम सिंह श्री भावित शर्मा के लिए

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>14/02/2025</u>

1. इस न्यायालय के समक्ष राजस्थान राज्य में कार्यरत दो विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम), अर्थात् जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVNL) और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (AVNL) के अकुशल/अर्ध-कुशल और/या कुशल (श्रेणी

'ए' या 'बी') कर्मचारी सदस्य हैं। इस आदेश के माध्यम से उपरोक्त संख्या की याचिकाओं के पूरे समूह का निपटारा किया जा रहा है क्योंकि उनमें एक ही विवाद शामिल है।

2. सामान्य शिकायत यह है कि दोनों डिस्कॉम्स द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर स्थानांतरणों के कारण, याचिकाकर्ताओं को न केवल विस्थापित किया गया है, बल्कि परस्पर वरिष्ठता के संबंध में उनकी सेवा शर्तें भी प्रतिकूल रूप से बदल गई हैं, जिसे उप-मंडल/मंडल स्तर पर बनाए रखा जाना है।

3. विवाद की प्रकृति को देखते हुए, विभिन्न याचिकाओं में व्यक्तिगत तथ्यों पर जाने की आवश्यकता नहीं है।

3.1. यहाँ जिस बात को चुनौती दी गई है, वह लागू सेवा नियमों के कथित उल्लंघन के साथ-साथ स्थानांतरण आदेशों की वैधता है, साथ ही अत्यधिक कठिनाई के योग्य मामलों को भी पूरी तरह से नजरअंदाज करने की प्रशासनिक अनुचितता है जिसका याचिकाकर्ताओं को सामना करना पड़ेगा।

3.2. यह भी अभिकथन है कि स्थानांतरण अभ्यास सबसे यांत्रिक तरीके से किया गया है, जो, देखने में, भले ही दंडात्मक न हो, लेकिन अनजाने में कई कर्मचारियों को बहुत दूर-दराज के स्थानों पर जाना पड़ेगा। इसके बावजूद कि वे डिस्कॉम्स द्वारा तैनात मानव संसाधन के पिरामिड के निचले पायदान पर हैं। इस प्रकार, राज्य सरकार में सेवारत अपने समकक्षों के या तो चतुर्थ श्रेणी या तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के बराबर वेतनमान के प्रवेश स्तर पर होने के कारण, वे आर्थिक रूप से अपने परिवारों को स्थानांतरित करने और/या उनके लिए आवास की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं।

4. शुरुआत में ही, यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि दोनों डिस्कॉम्स में लागू सेवा नियम समान हैं। इसलिए, उनकी व्याख्या दोनों डिस्कॉम्स पर लागू होगी।

4.1. वास्तव में, लागू नियमों के संबंध में सेवा शर्तें अपने मूल संगठन, यानी राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड से उत्पन्न हुई हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के बाद, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का त्रिभाजन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप इसे तीन संस्थाओं, अर्थात् बिजली उत्पादन, बिजली पारेषण और बिजली वितरण (डिस्कॉम्स) में अलग कर दिया गया।

4.2. उपरोक्त त्रिभाजन से पहले, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत एक समझौता ज्ञापन, तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मंडल और प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन (जो दोनों डिस्कॉम्स के कर्मचारियों के हितों की सेवा के लिए आज भी

मौजूद है) के बीच 26.01.1970 को निष्पादित किया गया था। उक्त समझौता ज्ञापन का प्रासंगिक अंश, यानी परिशिष्ट 'बी' इस प्रकार है:-

"परिशिष्ट 'बी'

विषय: तकनीकी कर्मचारियों के स्थानांतरण

1	तकनीकी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को नीचे दिखाए गए श्रेणियों के तहत विभाजित किया जा सकता है, साथ ही वरिष्ठता क्षेत्राधिकार जिसमें उनसे काम करने की अपेक्षा की जाती है और जो उनकी वरिष्ठता का आधार बनते हैं और परिणामस्वरूप उस क्षेत्राधिकार के भीतर स्थानांतरित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं।	
	कर्मचारी की श्रेणी	वरिष्ठता क्षेत्राधिकार
	1. अकुशल और अर्ध-कुशल तकनीकी कर्मचारी।	उप मंडल
	2. कुशल बी और कुशल ए तकनीकी कर्मचारी	मंडल
	3. पर्यवेक्षी तकनीकी कर्मचारी कुशल ए श्रेणी *(105-240)* के वेतनमान के समान वेतनमान तक	वृत्त
	4. शेष पर्यवेक्षी तकनीकी कर्मचारी	संपूर्ण मंडल
2	सामान्यतः ऐसे किसी भी कर्मचारी को उसके संबंधित वरिष्ठता क्षेत्राधिकार के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, जहाँ ऐसे व्यक्ति को वरिष्ठता क्षेत्राधिकार के बाहर स्थानांतरित करना नितांत आवश्यक पाया जाता है, तो स्थानांतरण नीचे दिए गए संबंधित तकनीकी कर्मचारियों के आदेशों के तहत प्रभावी होगा, जो संबंधित श्रमिक की पत्रावली में ऐसे स्थानांतरण के कारणों को विस्तार से दर्ज करेंगे:-	
	स्थानांतरण की प्रकृति	प्राधिकारी
	1. एक उप-मंडल से उसी मंडल में दूसरे उप-मंडल तक	कार्यपालक अभियंता
	2. एक मंडल से उसी वृत्त में दूसरे मंडल तक	अधीक्षण अभियंता
	3. एक वृत्तसे दूसरे वृत्त तक	मुख्य अभियंता/ अपर मुख्य अभियंता
3	स्थानांतरण आदेश में स्पष्ट रूप से उस वरिष्ठता को निर्धारित करना चाहिए जो स्थानांतरित व्यक्ति को नए वरिष्ठता क्षेत्राधिकार में मिलेगी जहाँ उसे तैनात किया गया है, जो उस पद पर लगातार सेवा की अवधि पर आधारित होनी चाहिए जहाँ से उसे स्थानांतरित किया गया है। तीन महीने से अधिक न होने वाले अस्थायी स्थानांतरणों के दौरान, संबंधित व्यक्ति की वरिष्ठता पहले वाले वरिष्ठता क्षेत्राधिकार में बनाए रखी जाएगी और वह लाभों का हकदार होगा, यदि कोई हो, जो अस्थायी स्थानांतरण न होने पर अर्जित हुए होते	
4	एक व्यक्ति को उसके अपने अनुरोध पर वरिष्ठता क्षेत्राधिकार के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है बशर्ते वह घोषणा करे कि वह अपनी वरिष्ठता को छोड़ने के लिए तैयार है।"	

5. वास्तव में, यह प्रकट होता है कि नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच आपसी सहमति से तय की गई उक्त सेवा शर्तों को बाद में वैधानिक नियमों, अर्थात् राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (तकनीकी श्रमिक) सेवा विनियम, 1975 में सम्मिलित कर दिया गया था। यह स्वीकृत स्थिति है कि दोनों डिस्कॉम्स के कर्मचारियों की सेवाएँ अब उक्त नियमों द्वारा शासित होती हैं। जिसके प्रासंगिक अंश नीचे दिए गए हैं:-

"30. नियमित श्रमिकों की वरिष्ठता का आधार निम्नानुसार होगा:-

कर्मचारियों की श्रेणी	**वरिष्ठता क्षेत्राधिकार**	**वरिष्ठता को अंतिम रूप देने का प्राधिकारी**
i) अकुशल और अर्ध-कुशल कर्मचारी	उप-मंडल स्तर	संबंधित नियंत्रक एईएन द्वारा
ii) कुशल 'बी' और कुशल 'ए' श्रेणियाँ	मंडल स्तर	संबंधित नियंत्रक एक्सईएन द्वारा
iii) पर्यवेक्षी कर्मचारी जिनका वेतनमान 'ए' श्रेणी के वेतनमान के समान है	वृत्त स्तर	संबंधित नियंत्रक एसई द्वारा
iv) शेष पर्यवेक्षी कर्मचारी	राज्य स्तर	संबंधित नियंत्रक सीई द्वारा

(2) उप-विनियम-*(1)* में निहित किसी भी बात के बावजूद, ड्राफ्ट्समैन, ट्रेसर, फेरोमैन और वाहन चालक या जो ईएचटी विंग, एक पावर स्टेशन, एक मीटर और रिले परीक्षण विंग, स्टोर, पीएलसीसी या यहां निर्दिष्ट नहीं किए गए किसी अन्य विंग या कार्यालय में काम कर रहे हैं, उन श्रमिकों का वरिष्ठता क्षेत्राधिकार अध्यक्ष द्वारा तय किए गए ऐसे प्राधिकारियों द्वारा अलग से बनाए रखा जाएगा।

(3) एक ही चयन के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा किसी विशेष समूह में एक पद पर नियुक्त व्यक्तियों की आपसी वरिष्ठता, सिवाय उनके जिन्हें पद की पेशकश किए जाने पर निर्दिष्ट समय के भीतर सेवा में शामिल नहीं किया जाता है, उसी क्रम का पालन करेगी जिसमें उनके नाम चयन समिति द्वारा तैयार की गई सूची में रखे गए हैं।

(4) चूँकि सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति के लिए रिक्तियों का निर्धारण हर साल किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों के निर्धारण पर पदोन्नत व्यक्ति उस वर्ष के सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे, भले ही उनकी नियुक्ति की तारीख कुछ भी हो।

(5) नियमित वेतनमानों में श्रमिकों को निर्धारित करने की तारीख वरिष्ठता के निर्धारण की तारीख होगी। यदि नियमित कैडर में नियुक्ति/निर्धारण की तारीख समान है, तो वरिष्ठता कार्यप्रभारित/मस्टर रोल क्षमता में नियुक्ति की तारीख के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जहाँ तारीख समान होने पर, वरिष्ठता उनकी जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(6) एक ही आदेश या एक ही तारीख के आदेशों द्वारा निचले पद से पदोन्नत दो या दो से अधिक श्रमिकों की आपसी वरिष्ठता निचले कैडर में उनकी वरिष्ठता के समान होगी।

(7) तैयार की गई अनंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाएगी और संबंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। वरिष्ठता सूची की प्रतियां मान्यता प्राप्त पंजीकृत/प्रतिनिधि ट्रेड यूनियनों या संघों को और अनुरोध पर संबंधित श्रमिक को दी जा सकती हैं।

(8) व्यथित श्रमिक को *30* दिनों की अवधि के भीतर संबंधित अपीलीय प्राधिकारी को ऐसी वरिष्ठता के विरुद्ध आपत्तियाँ/अभ्यावेदन दाखिल करने का अधिकार होगा। *30* दिनों की अवधि वरिष्ठता सूची जारी करने की तारीख से गिनी जाएगी। प्राप्त अभ्यावेदनों पर विधिवत विचार किया जाएगा और न्यायसंगत तरीके से निपटा जाएगा और इस प्रक्रिया में व्यथित श्रमिक को यदि मांगा जाए तो अपने मामले की व्याख्या करने का उचित अवसर दिया जाएगा।

(9) विनियम *30(i)* में निर्धारित वरिष्ठता सूची को प्रकाशित और अंतिम रूप देने के लिए अधिकृत प्राधिकारी से अगला उच्च प्राधिकारी अनंतिम वरिष्ठता सूची के विरुद्ध व्यथित श्रमिकों द्वारा दायर आपत्तियों/अभ्यावेदनों का निर्णय करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी होगा, लेकिन शेष पर्यवेक्षी कर्मचारियों, ड्राफ्ट्समैन, ट्रेसर, फेरोमैन, वाहन चालकों के मामले में, जहाँ वरिष्ठता को संबंधित नियंत्रक मुख्य अभियंता द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है, अपीलीय प्राधिकारी निदेशक *(कार्मिक)* या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी होगा।

अनुसूची-*I*

<u>कुशल-ए</u>

1. इलेक्ट्रीशियन-*I*
2. वेल्डर
3. टर्बाइन अटेंडेंट
4. रिले परीक्षक
5. मिस्त्री-*II*
6. हेड लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन-*II*
7. बॉयलर अटेंडेंट-*II*
8. फिटर-*I*
9. टर्बाइन अटेंडेंट-*II*
10. कारीगर-*I*
11. रेडियो मैकेनिक-*I*
12. मीटर परीक्षक और मरम्मतकर्ता-*II*
13. ड्राइवर-*I*
14. केबल जॉइंटर
15. वेल्डर-*II*
16. सहायक सर्वेयर
17. सब-स्टेशन अटेंडेंट-*I*
18. टर्बाइन ड्राइवर
19. लोहार-*I*

20. इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन-I
21. वायरमैन-I
22. लाइनमैन-I
23. कारपेंटर-I
24. पेंटर-I
25. टर्नर-I
26. मोल्डर-I
27. फिल्टर ऑपरेटर
28. एस्टीमेटर
29. वायरमैन
30. राजमिस्त्री-I
31. क्रेन ऑपरेटर-I
32. ड्राफ्ट्समैन-I
33. सीनियर ऑपरेटर
34. मैकेनिक-I (इंस्ट.)
35. ऑपरेटर-I
36. सहायक यार्ड मास्टर
37. कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट-सह-ऑपरेटर ग्रेड-II
38. लोको ऑपरेटर
39. फिटर-I (लोको)
40. ईओटी/क्रेन ऑपरेटर
41. डोजर ऑपरेटर
42. मैकेनिक-I/टेक्नीशियन-I
43. सीनियर कैरिज फिटर-II
44. स्थायी मार्ग मिस्त्री

कुशल-बी

1. इलेक्ट्रीशियन-II
2. लाइनमैन-II
3. केबल जॉइंटर-II
4. सब-स्टेशन अटेंडेंट-II
5. कारीगर-II
6. ड्राइवर-II (मैकेनिक)
7. मैकेनिक-II
8. फिटर-II
9. मिस्त्री-II
10. सहायक अटेंडेंट-II
11. मीटर परीक्षक और मरम्मतकर्ता ग्रेड-III
12. फायरमैन-II
13. रेडियो मैकेनिक-II
14. वेल्डर-III
15. टूल कीपर-II
16. मीटर इंस्पेक्टर-II
17. जल उपचार और संयंत्र अटेंडेंट
18. पंप ड्राइवर
19. वाहन चालक
20. मीटर रीडर और मीटर चेकर-I
21. टर्नर-II
22. लोहार-II

23. मोल्डर-*II*
24. कारपेंटर-*II*
25. फिल्टर अटेंडेंट-*II*
26. राजमिस्त्री-*II*
27. कोयला जमादार-*II*
28. पेंटर-*II*
29. वायरमैन-*II*
30. ट्रेसर
31. इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन-*II*
32. ऑपरेटर-*II*
33. नमूना संग्राहक
34. कैरिज फिटर
35. फिटर ग्रेड-*II (*लोको*)*
36. लीड फायरमैन
37. सीनियर फायरमैन
38. फायर टेंडरर ड्राइवर-सह-पंप ऑपरेटर
39. मैकेनिक-*II (*इंस्ट.*)*
40. सहायक लोको ऑपरेटर
41. मैकेनिक-*II (*डीजल*)*
42. पंप ऑपरेटर
43. मैकेनिक-*II*/टेक्नीशियन-*II*
44. फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर
45. कंप्रेसर ऑपरेटर

अर्ध-कुशल

1. हेल्पर-*I*
2. सब-स्टेशन अटेंडेंट-*III*
3. एसबीए-*III*
4. उपभोक्ता कॉल अटेंडेंट
5. हथौड़ा चलाने वाला/हथौड़ी मैन
6. फेरोमैन
7. लोको फिटर ग्रेड-*IV*
8. पॉइंट्समैन
9. मेट
10. फायरमैन
11. अर्ध-कुशल कैरिज फिटर
12. उपभोक्ता कॉल अटेंडेंट
13. ऑपरेटर ग्रेड-*III*
14. एमआर-*II*/एम.सी.*II**

<u>अकुशल</u>

1. हेल्पर-*II*
2. शंटिंग पोर्टर-सह-हॉकमैन
3. ट्रॉलीमैन
4. कीमैन

6. उपरोक्त लागू नियमों के आलोक में, अब यह देखना आवश्यक है कि क्या यहाँ चुनौती दिए गए स्थानांतरण आदेश वास्तव में याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, जिन्हें संबंधित उप-मंडलों/मंडलों से बाहर भेजा गया है।

7. इस संदर्भ में, डिस्कॉम्स द्वारा अपने व्यापक जवाब (सभी याचिकाओं के संबंध में) के पैरा संख्या 2 से 4 में दिए गए रुख को पुन: प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:-

> *"2.* यह कि याचिकाकर्ता की सेवा शर्त तकनीकी कर्मकार सेवा विनियम, *1975 (*संक्षेप में *"*टीडब्ल्यूएसआर*-1975"* के रूप में संदर्भित*)* द्वारा शासित हो रही है। उक्त विनियमों में अनुसूची *-1* और *III* में संशोधन किया गया, जिसमें तकनीकी सहायक के रूप में नियुक्त तकनीकी कर्मकारों के लिए, वेतन स्तर*-4* या समकक्ष पर वेतन प्राप्त करने वाले, उनके विकल्प पर, तकनीकी सहायक*-II* के रूप में, वेतन स्तर*-5* या समकक्ष पर वेतन प्राप्त करने वाले, उनके विकल्प पर, तकनीकी सहायक*-II* के रूप में, वेतन स्तर*-8* या समकक्ष पर वेतन प्राप्त करने वाले, उनके विकल्प पर, तकनीकी सहायक के रूप में और वेतन स्तर*-10* या समकक्ष पर वेतन प्राप्त करने वाले, उनके विकल्प पर, तकनीकी पर्यवेक्षक के रूप में, एक अलग कैडर का गठन किया गया।
>
> *3.* यह कि टी.डब्ल्यू.एस.आर.*-1975* में संशोधन के अनुसरण में, उत्तर देने वाले प्रत्यर्थी निगम ने पुनः पदनाम के लिए विकल्प प्रपत्र जमा करने के इच्छुक कर्मकारों से विकल्प आमंत्रित करते हुए दिनांक *12.02.2024* और *14.02.2019* को एक आदेश और परिपत्र जारी किया। दिनांक *12.02.2024* और *14.02.2019* के आदेश और परिपत्र की एक प्रति यहाँ संलग्न है और अनुलग्नक-आर*/1* के रूप में चिह्नित है।
>
> *4.* यह कि उत्तर देने वाले प्रतिवादीनिगम ने बाद में दिनांक *17.07.2019* को नए कैडर का विकल्प चुनने वाले तकनीकी सहायक के लिए वेतन निर्धारण हेतु दिशानिर्देशों के लिए एक और परिपत्र जारी किया, जिसमें *3, 12, 21* और *30* साल की सेवा पूरी होने पर पुनः पदनाम और उन्नयन के बाद वेतन निर्धारण के दिशानिर्देश थे। उक्त परिपत्र के बिंदु संख्या *6* पर विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि "पुनः पदनाम पर, इन तकनीकी कर्मकारों को पुराने कैडर में वरिष्ठता और पदोन्नति आदि के किसी भी लाभ का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।" दिनांक *17.07.2019* के परिपत्र की एक प्रति यहाँ संलग्न है और अनुलग्नक-आर*/2* के रूप में चिह्नित है।"

8. डिस्कॉम्स द्वारा लिए गए रुख के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मंडल से बाहर स्थानांतरण को न्यायोचित ठहराने का उनका पूरा जोर इस आधार पर है कि चूंकि 3, 12, 21 और 30 साल की सेवा की समाप्ति पर, दिनांक 17.07.2019 के परिपत्र द्वारा नए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनका पुनः

पदनाम और बढ़ा हुआ वित्तीय लाभ हुआ है और इसलिए, उनकी वरिष्ठता प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगी।

9. मैं प्रत्यर्थियों द्वारा अपनाए गए ऐसे रास्ते से सहमत होने में असमर्थ हूँ। इसे अस्वीकार करने के लिए ही नोट किया जा रहा है। कारण ग्रहण करने योग्य नहीं हैं। आइए देखें कैसे।

10. आगे बढ़ने से पहले, दिनांक 17.07.2019 के उस परिपत्र पर ध्यान देना प्रासंगिक है, जिसे प्रतिवादियों द्वारा ऊपर उद्धृत जवाब में लिए गए रुख को न्यायोचित ठहराने के लिए उनका तथाकथित तुरूप का इक्का माना जाता है। उक्त परिपत्र इस प्रकार है:-

"परिपत्र दिनांक *17.07.2019*

विषय*:* नए कैडर का विकल्प चुनने वाले तकनीकी सहायकों के संबंध में वेतन निर्धारण के लिए दिशानिर्देश।

तकनीकी कर्मकारों *(*आईटीआई*)* के पुनः पदनाम के परिणामस्वरूप, जिन्हें शुरू में तकनीकी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था, उनकी *3, 12, 21* और *30* साल की सेवा पूरी होने पर उनके उन्नयन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं*: -*

1. ऐसे तकनीकी सहायक *(*आईटीआई*)* का पुनः पदनाम *01.04.2019* से प्रभावी होगा।

2. उन्नयन पर, वेतन मैट्रिक्स में स्तर में वृद्धि के कारण वित्तीय लाभ केवल *01.04.2019* को या उसके बाद ही दिया जाएगा।

3. वेतन मैट्रिक्स में स्तर में वृद्धि के साथ बाद का उन्नयन एस*.*ई*.* द्वारा नीचे गठित समिति की सिफारिश पर ही दिया जाएगा*: -*

a.	संचालन और रखरखाव शाखा के लिए*:*	*(i)* संबंधित मंडल के कार्यपालक अभियंता *(ii)* वृत्त लेखा अधिकारी *iii)* वृत्त कार्मिक अधिकारी
b.	सामग्री और खरीद शाखा के लिए*:*	*(i)* अधीक्षण अभियंता *(*सामग्री और खरीद - अंचल/क्षेत्रीय समन्वय*)* या कार्यपालक अभियंता के पद से नीचे नहीं का उनका नामित व्यक्ति *(ii)* जोधपुर सामग्री और खरीद सर्किल के लिए लेखा अधिकारी जोधपुर। बीकानेर सामग्री और खरीद सर्किल के लिए लेखा अधिकारी बीकानेर और बाड़मेर सामग्री

		और खरीद सर्किल के लिए लेखा अधिकारी बाड़मेर। *(iii)* जोधपुर सामग्री और खरीद सर्किल के लिए कार्मक अधिकारी जोधपुर। बीकानेर सामग्री और खरीद सर्किल के लिए कार्मिक अधिकारी बीकानेर और बाड़मेर सामग्री और खरीद सर्किल के लिए कार्मिक अधिकारी बाड़मेर।

4. पुनः पदनाम से पहले अर्जित अनुभव को पदोन्नति/उन्नयन के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा। *3, 12, 21* और *30* साल की सेवा गिनने की अवधि तकनीकी सहायक के रूप में शुरू में शामिल होने की तारीख से गिनी जाएगी,

5. यह उन्नयन इस शर्त के अधीन होगा कि संबंधित कर्मकार के खिलाफ कोई डीई या आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है और वह निलंबन के अधीन नहीं है और पिछले *7* वर्षों के दौरान उसका कार्य प्रदर्शन संतोषजनक रहा है और इस अवधि के दौरान कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।

6. पुनः पदनाम पर, इन तकनीकी कर्मकारों को पुराने कैडर में वरिष्ठता और पदोन्नति आदि के किसी भी लाभ का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।"

11. उक्त परिपत्र स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि 3, 12, 21 और 30 साल की सेवा पूरी होने पर, इसके साथ संलग्न अनुसूची-III के अनुसार, जो कुछ परिकल्पित है, वह तकनीकी कर्मकारों और/या तकनीकी सहायकों का पुनः पदनाम है, जो उनकी तब तक की गई सेवाओं की दीर्घायु के आधार पर 01.04.2019 से प्रभावी होगा। परिपत्र स्पष्ट शब्दों में कहता है कि "पुनः पदनाम से पहले अर्जित अनुभव को पदोन्नति के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा"।

12. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परिपत्र केवल अकुशल/अर्ध-कुशल और/या कुशल श्रेणियों के विभिन्न कर्मचारी सदस्यों की सेवा की संबंधित लंबाई पूरी होने पर कुछ वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए है। इसकी उदारता केवल पदोन्नति के अवसर की कमी के कारण किसी भी मनोव्यथा से बचने के लिए है। हालाँकि, जब भी कोई पदोन्नति का पद उपलब्ध होता है, तो यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनके पुनः पदनाम से पहले के अनुभव को उनकी वरिष्ठता के अनुसार उन्हें पात्र मानने के लिए गिना जाएगा, सिवाय इसके कि "पुनः पदनाम पर, इन तकनीकी कर्मकारों को पुराने कैडर में वरिष्ठता और

पदोन्नति आदि के किसी भी लाभ का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा"। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुनः पदनाम से पहले अर्जित अनुभव को प्रत्येक कर्मचारी सदस्य की व्यक्तिगत वरिष्ठता के रूप में पढ़ने की आवश्यकता है। पिछला अनुभव केवल सेवा की अवधि से ही गिना जा सकता है जिसका अर्थ अनिवार्य रूप से वरिष्ठता है।

13. उपरोक्त स्थिति इस तथ्य से पुष्ट होती है कि सुनवाई के दौरान न्यायालय के एक प्रश्न पर, समान प्रतिक्रिया यह है कि याचिकाकर्ताओं के स्तर के तकनीकी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची संबंधित उप-मंडल/मंडल स्तरों पर बनाए रखी जा रही है और उन्हें तदनुसार कैडर कर्मचारी माना जाता है।

14. संक्षेप में, व्यवस्थापन ज्ञापन (1970) और राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (तकनीकी कर्मकार) सेवा विनियम, 1975 यह स्थापित करते हैं कि अकुशल/अर्ध-कुशल और/या कुशल (श्रेणी 'ए' या 'बी') से बने तकनीकी कर्मचारियों को उनके वरिष्ठता क्षेत्राधिकार, यानी संबंधित उप-मंडलों/मंडलों से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए जो उन्हें अलग करने के समय या बाद की भर्ती के समय, जैसा भी मामला हो, आवंटित किए गए थे।

14.1. प्रत्यर्थी दिनांक 17.07.2019 के परिपत्र पर भरोसा करते हैं, यह तर्क देते हुए कि पुनः पदनामित कर्मचारियों को अपने पुराने कैडर में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। हालाँकि, परिपत्र स्पष्ट रूप से कहता है कि पुनः पदनाम से पहले अर्जित अनुभव को पदोन्नति के लिए गिना जाएगा। इसका मतलब है कि वरिष्ठता बरकरार है, क्योंकि अनुभव सीधे सेवा अवधि से बंधा हुआ है।

15. इस परिसर में, याचिकाकर्ताओं के चुनौतीपूर्ण स्थानांतरण आदेश, जो या तो अकुशल/अर्ध-कुशल और/या कुशल (श्रेणी 'ए' या 'बी') से संबंधित कर्मचारी सदस्य हैं, जिन्हें स्थानांतरित किया गया है, अपास्त किए जाते हैं, नए आदेश पारित करने की स्वतंत्रता के साथ। उन्हें उसी मंडल के भीतर रखने का प्रयास किया जाएगा, जो निश्चित रूप से सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर निर्धारित किए जाने वाले स्थान पर प्रशासनिक आवश्यकताओं के अधीन होगा।

16. अंत में, मैं यह जोड़ने की जल्दी कर सकता हूँ कि यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि वह कार्य की आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए अपने विवेक को प्रतिस्थापित करे जैसा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया है, यह जोर देते

हुए कि उन्हें उसी स्थान पर उसी पद पर जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उनके स्थानांतरण किसी भी मौजूदा प्रशासनिक आवश्यकता के कारण नहीं हुए हैं और/या डिस्कॉम के हित में नहीं हैं। उक्त निर्णय प्रशासनिक विशेषज्ञों के लिए खुला छोड़ दिया गया है। हालाँकि, ऐसी कार्य आवश्यकताओं को कर्मचारी अधिकारों और सेवा नियमों के मुकाबले, योग्य मामलों में मानवीय विचारों के साथ, विधिवत सत्यापन पर संतुलित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, जहाँ भी आवश्यक हो, नए स्थानांतरण आदेश केवल प्रशासनिक आवश्यकता/डिस्कॉम हित पर विचार करने के बाद ही पारित किए जाएंगे, जबकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी अपने संबंधित उप-मंडल/मंडल के भीतर रहें, जैसा कि उनकी संबंधित वरिष्ठता बनाए रखी जा रही है।

17. तदनुसार, सभी रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

18. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, भी निपटारा किए जाते हैं।

(अरुण मोंगा), न्यायमूर्ति

69 से 74, 76 से 97, 99 से 102, 104 से 126,
128 से 146, 148 से 160, 1, 50, 236,
237, 241, सी-1/3 और सी-2/1-एस.पी./एस.के.एम./-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ / नहीं

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

एडवोकेट विष्णु जांगिड़